

वर्ष 2015 में गीतांजलि समूह पर पड़ी इन्कम टैक्स रेड का काला सच!!!

गीतांजलि समूह के जगदीश प्रसाद अग्रवाल, शांति लाल मारू, प्रदीप मित्तल के यहाँ पड़े थे छापे!!

छापे में 300 करोड़ के कर चोरी/अघोषित आय के मामले बनाए थे आयकर विभाग ने!!!

समूह के कर्ता-धर्ताओं ने स्वीकार की थी 118 करोड़ की अघोषित आय!!!



इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने खोले थे सफेदपोशों के कई कच्चे चिट्ठे!!!

काली कमाई के लिए के लिए बोगस लॉन्ग टर्म केपिटल गेन, बोगस शेयर प्रीमियम,

मनी लॉन्ड्रींग, अंडर बिलिंग, ऑन मनी, अनसिक्योर लोन, केपिटेशन फीस

सहित कई हथकंडों का कर रहे थे इस्तेमाल!!!

इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने गीतांजलि समूह के विरुद्ध की गयी

इतनी बड़ी कार्यवाही की सेबी, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई

को नहीं दी जानकारी!!!

जबकि ऐसे मामलों में मनी लॉन्ड्रींग, सेबी एक्ट और आर्थिक अपराध के तहत,

ईडी, सेबी और सीबीआई को करनी थी कार्यवाही!!!

गीतांजलि ग्रुप की काली कमाई का बड़ा खुलासा!!!

पेसेफिक इंडस्ट्रीज़ लि. के कर्ता धर्ता जगदीश प्रसाद अग्रवाल
और उनका पूरा परिवार इस काले धंधे में लिप्त!!!



गीतांजलि यूनिवर्सिटी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,
गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीस, पेसेफिक एक्सपोर्ट्स,
ओजस्वी मार्बल एंड ग्रेनाइट प्रा. लि. जैसी सैकड़ों कंपनियों का कर रहे संचालन!!!

समूह की पेसेफिक इंडस्ट्रीज़ लि. शेयर मार्केट में लिस्टेड!!!

क्या खेल चल रहा है शेयर मार्केट में!!!

**समूह ने शेयर मार्केट में बोगस लॉन्ग टर्म केपिटल गेन के जरिये
अपने करोड़ों के काले धन को किया सफ़ेद!!!**

**शेयर मार्केट से जुड़ी बोगस लॉन्ग टर्म केपिटल गेन और
पेनी स्टॉक कंपनियों के बेजा इस्तेमाल की बड़ी कहानी!!!**

सबसे बड़ा सवाल?

विशेष रिपोर्ट-1

**क्या गीतांजलि समूह आज भी कर रहा है
इन्कम टैक्स, जीएसटी सहित अन्य करों की चोरी??**

**समूह की जयपुर में बन रही एक और यूनिवर्सिटी
के लिए कहाँ से बताया गया है पैसा?**

**हाल ही में स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार द्वारा
समूह की गीतांजलि यूनिवर्सिटी पर मारे गए छापे का क्या है कारण?
क्या पेसेफिक समूह की तरह गीतांजलि समूह भी सीबीआई के राडार पर है?**

क्या था 2015 में गीतांजलि समूह पर पड़ी इन्कम टैक्स रेड का मामला?

दिनांक 26/08/2015 को आयकर विभाग द्वारा उदयपुर के गीतांजलि समूह से जुड़े लोगो और कंपनियों के ठिकानो पर छापा मारे गए थे। मुख्यतः रियल स्टेट, मार्बल, ग्रेनाइट की खानो और उनकी प्रोसेसिंग, मेडिकल और टेक्निकल शिक्षण संस्थानो से जुड़े गीतांजलि समूह के विभिन्न ठिकानो से आयकर विभाग द्वारा जमीन, जायदाद, नकद लेन-देन और अघोषित आय से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए। आयकर विभाग द्वारा खुलासा किया गया कि समूह से जुड़े व्यक्ति और कंपनियाँ इन्कम टैक्स चोरी के लिए बोगस लॉन्ग टर्म केपिटल गेन, मनी लॉडरींग, अंडर बिलिंग, ऑन मनी, अनसिक्योर लोन, केपिटेशन फीस सहित कई हथकंडो का इस्तेमाल करते थे। इन्कम टैक्स द्वारा समूह की 303 करोड़ की काली कमाई का खुलासा किया गया था, जिसमें से कंपनी के कर्ता-धर्ताओं द्वारा 118 करोड़ की अघोषित आय को स्वीकार कर, टैक्स देने की शपथ पत्र के साथ हामी भरी थी। इस छापा में विभाग को 57 लाख रुपए नकद भी मिले थे। आयकर विभाग के अनुसार गीतांजलि समूह को मुख्यतः जगदीश प्रसाद अग्रवाल और उनका परिवार संचालित करता था, शांति लाल मारू और प्रदीप मित्तल समूह के मुखिया जगदीश प्रसाद अग्रवाल के निकटतम सहयोगी थे, जिसमें से शांति लाल मारू का मुख्य व्यवसाय रियल स्टेट, जमीन जायदाद से जुड़ा था जबकि प्रदीप मित्तल का मुख्य व्यवसाय मध्य-प्रदेश के कटनी जिले में मार्बल, ग्रेनाइट से जुड़ा था।

कौन है गीतांजलि समूह के मुख्य कर्ता-धर्ता? क्या है इनके मुख्य व्यवसाय?

जगदीश प्रसाद अग्रवाल: यह गीतांजलि समूह के मुख्य कर्ता धर्ता है, इनके साथ इनके परिवार के गीता अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, कपिल अग्रवाल शामिल हैं। समूह का मुख्य व्यवसाय रियल स्टेट, मार्बल, ग्रेनाइट की खानो और उनकी प्रोसेसिंग, मेडिकल और टेक्निकल शिक्षण संस्थानो से जुड़ा हुआ है, मार्बल और ग्रेनाइट की खाने मुख्यतः उदयपुर, कटनी, बेंगलोर, और बाइमेर में है। इनकी प्रोसेसिंग यूनिट उदयपुर, कटनी और बेंगलोर में है। समूह की शैक्षणिक संस्थाएँ जैसे गीतांजलि यूनिवर्सिटी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गीतांजलि डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ उदयपुर में स्थित हैं। साथ ही समूह की आइरन ओर की खाने जबलपुर में स्थित है, समूह द्वारा एक स्टील प्लांट भी जबलपुर में बनाया गया है। इसी के साथ समूह का उदयपुर में रियल स्टेट, निर्माण का कार्य भी रहा है।

शांति लाल मारू: शांति लाल मारू उदयपुर में भू-कारोबारी के रूप में नामचीन है। शांति लाल मारू और उनके परिवार के अन्य सदस्यगण भी गीतांजलि समूह की कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। मारू परिवार रियल स्टेट कार्यों के लिए गीतांजलि समूह से जुड़ा हुआ है। यह दोनों उदयपुर में कृषि भूमियों की खरीद फरोख्त, उन पर प्लॉटिंग, बिल्डिंग निर्माण के धंधे से जुड़े हैं और जमीनो, प्लॉटो, फ्लेटों के कारोबार का 30 से 40% नंबर दो यानि काले धन के रूप में केश नकद में करते हैं।

प्रदीप मित्तल: प्रदीप मित्तल और संजय मित्तल मध्य प्रदेश के कटनी जिले के निवासी हैं और समूह के जबलपुर और कटनी में मार्बल, माइनिंग के काम देखते हैं।

आयकर विभाग द्वारा गीतांजलि समूह के विरुद्ध बनाए गए मामले

Sr.No.	Issue	Amount in crore
1	Routing of unaccounted money in the form of bogus LTCCG in the name of family members of promoters of the group (including commission paid thereupon)	117.4/-
2	Voluntarily surrender on account of various discrepancies by Shre Shanti lal Maroo	1.15/-
3	Cash received against sale of industrial land by shre Jagdish Prasad Agarwal	1.41/-
4	Bogus share introduced in books	25.67/-
5	Investment in shares in the name of Driver " <i>ladu lal rebari</i> "	0.89/-
6	Unaccounted income of Ankit Chirag Developers Pvt Ltd and Chirag Maroo	0.08/-
7	Unsecured Loans shown to have been received by JP Agarwal and Shanti lal Maroo group	157.00/-
Total		303.84

इन्कम टैक्स द्वारा समूह की 303 करोड़ की काली कमाई का खुलासा किया गया था, जिसमें से कंपनी के कर्ता-धर्ताओं द्वारा 118 करोड़ की अघोषित आय को स्वीकार कर, टैक्स देने की शपथ पत्र के साथ हामी भरी थी।

कंपनी के ड्राइवर लादू लाल रेबारी के नाम से कर रखा था 8898844/-का निवेश

आयकर विभाग द्वारा इस बात का भी खुलासा किया गया कि जगदीश प्रसाद अग्रवाल द्वारा पेसेफिक इंडस्ट्रीज़ लि में करीब 90 लाख रुपए अपने ड्राइवर लादू लाल रेबारी के नाम से बता रखे थे।

**कैसे करते थे गीतांजलि समूह के कर्ता-
धर्ता इन्कम टेक्स की चोरी?**

आयकर विभाग द्वारा खुलासा किया गया था कि समूह से जुड़े व्यक्ति और कंपनियाँ इन्कम टेक्स चोरी के लिए बोगस लॉन्ग टर्म केपिटल गेन, मनी लॉन्डरींग, अंडर बिलिंग, ऑन मनी, अनसिक्योर लोन, केपिटेशन फीस सहित कई हथकंडों का इस्तेमाल करते थे। आइये आपको विस्तार से इनका खुलासा करते हैं:-

किन व्यक्तियों से कितनी अतिरिक्त आय हुई उजागर

क्रमांक	नाम	राशि(लाखों में)
1	जगदीश प्रसाद अग्रवाल	656867000/-
2	शांति लाल मारू	385100000/-
3	प्रदीप कुमार मित्तल	38242602/-
4	संजय कुमार मित्तल	38974081/-
5	ऋषभ मित्तल	65625550/-
कुल		1184809204/-

(1) शेयर मार्केट में बोगस लॉन्ग टर्म केपिटल गेन(LTCG) और पेनी स्टॉक्स के जरिये अपने काले धन को करते थे सफ़ेद।

आयकर विभाग द्वारा यह आरोप लगाया गया कि समूह की कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से इन्कम टेक्स से छूट प्राप्त लॉन्ग टर्म केपिटल गेन का उपयोग टेक्स चोरी और अपनी अघोषित आय को सफ़ेद करने में किया जाता था। इसके लिए वह पेनी स्टॉक कंपनियों में बड़ी तादाद में निवेश करते थे। विभाग द्वारा बताया गया कि समूह की कंपनियाँ और सदस्य अपनी अघोषित कमाई को अपनी बुक्स में बोगस लॉन्ग टर्म केपिटल गेन, शेयर प्रीमियम, अनसिक्योर लोन के तौर पर नामी/बेनामी नामों से बताते थे।

आयकर विभाग द्वारा खुलासा किया गया कि समूह ने वर्ष 2010 में ब्लू प्रिंट सेक्यूरिटी लि. में 476000 शेयरों की खरीद 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कुल 4760000/- में की। इसे दो साल रखने के बाद इन्हीं शेयरों

को वर्ष 2012 में 306.90 प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया गया, जिसकी कुल बिक्री 146084700/- आती है। इस प्रकार समूह द्वारा खरीदे शेयरों में 3070% उछाल आया जो कि अप्रत्याशित था। इसी प्रकार की खरीद अन्य कई कंपनियों में की गयी, जिनमें भी अप्रत्याशित रूप से हजारों प्रतिशत उछाल देखा गया। विभाग के अनुसार समूह ने अपने ही अन्य धंधों से कमाए काले धन को अनुचित तरीके एवं अनुचित रास्तों से खपा कर, सफ़ेद कर दिया।

कंपनियों का नाम

Blue Print Securities' Limited
Oasis Cine Communication Ltd
Ins Edutech Ltd
Polytex India Ltd
Yamini Investment Company Ltd
Emerald Commercial Ltd
Supernova Advertising Ltd
Appu Marketing and Manufacturing Ltd
SRK Industries Ltd
Ojas Asset Reconstruction Company

Long-term Capital Gain from a Penny Stock with 3072% Profit Is Bogus and Sham Transaction: ITAT

क्या होते हैं पेनी स्टॉक?

अमूमन पेनी स्टॉक्स कंपनियाँ वह होती है, जिनमें पैसा लगाना जोखिम का काम होता है यह छोटे स्तर की कंपनियाँ होती हैं। पेनी स्टॉक (Penny Stock) मार्केट ट्रेडेड सिक्योरिटी (प्रतिभूति) के रूप हैं, जो न्यूनतम प्राइसिंग आकर्षित करते हैं। ये प्रतिभूतियाँ आम तौर पर निम्न बाजार पूंजीकरण दरों वाली कंपनियों द्वारा ऑफर की जाती हैं।

क्या हैं इसकी विशेषताएं?

-हाई-रिटर्न: ये स्टॉक दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियों की तुलना में काफी अधिक रिटर्न उपलब्ध कराते हैं। चूंकि ऐसे शेयर स्मॉल और माइक्रो-कैप कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, उनमें वृद्धि की विशाल संभावनाएं होती हैं। इसके परिणामस्वरूप, बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति इसके रिस्पांस की तीव्रता को देखते हुए पेनी स्टॉक जोखिम भरे होते हैं।

-इलिक्विड: यह देखते हुए कि जो कंपनियाँ उन्हें जारी करती हैं, वे अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय होती हैं, भारत में पेनी स्टॉक प्रकृति से इलिक्विड होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जो इस प्रकार के स्टॉक्स की खरीद करने के इच्छुक हों, इसलिए वे आपातकालीन स्थितियों में अधिक सहायक साबित नहीं होते।

-निम्न लागत: भारत में पेनी स्टॉक का मूल्य अक्सर 10 रुपये से कम निर्धारित किया जाता है। इसलिए, आप छोटे से निवेश के साथ पेनी स्टॉक लिस्ट से स्टॉक यूनिट की बड़ी मात्रा की खरीद कर सकते हैं।

क्या है बोगस LTCG और पेनी स्टॉक्स?

हमें हमारी चल अचल सम्पत्तियों पर इन्कम टैक्स में लॉन्ग टर्म केपिटल गेन प्राप्त होता है। शेयर मार्केट में भी शेयरों को एक साल से अधिक रखने पर लॉन्ग टर्म केपिटल गेन प्राप्त होता है। वर्ष 2018-19 से पहले यह लॉन्ग टर्म केपिटल गेन कर-मुक्त होता था। इसी का बेजा फायदा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कई कंपनियाँ उठाती थीं। यह कंपनियाँ अपने निवेशकों को ऐसी कंपनियों में पैसा निवेश करने को कहती थीं जिनकी शेयरों की कीमत 10-12 रुपए होती थी। 2-3 सालों में इन कंपनियों के शेयर की कीमत में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए जबर्दस्त उछाल लाया जाता था। शेयरों की कीमत में उछाल लाने के लिए इन्हीं निवेशकों के काले धन का उपयोग किया जाता था। जिससे इन शेयरों की कीमत 300-500 रुपए हो जाती थी। इसी समय निवेशक अपना पैसा निकाल

लेते थे, इससे उन्हें कर मुक्त लॉन्ग टर्म केपिटल गेन का फायदा तो मिलता ही था, अनुचित साधनों से इन निवेशकों का काला धन भी सफ़ेद हो जाता था। इस काम को करने वाले एजेंटों को 0.5% कमीशन दिया जाता था।

(2) मार्बल और ग्रेनाइट की बिक्री की अंडर बिलिंग और रियल स्टेट में लेन-देन में ऑन मनी का इस्तेमाल

आयकर विभाग द्वारा बताया गया कि समूह अपनी मार्बल और ग्रेनाइट की सेल को अंडर बिलिंग करके बताते थे, जिससे उनका वास्तविक लाभ बुक्स में कम बताया जा सके। इसी के साथ समूह अपने रियल स्टेट प्रोजेक्टों के फ्लेट्स ऑन मनी पर बेचते थे। ऑन मनी का मतलब किसी फ्लेट को कंपनी की बुक्स में उसकी असली कीमत से कम कीमत पर बेचना बताना है। समूह की कंपनी आशियाना बिल्डप्रॉप प्रा लि द्वारा बनाई गयी सांची एंक्लेव योजना में 63 फ्लेटों की एग्रीमेंट राशि 250175906/- बताई गयी थी, जिसकी एंटी एग्रीमेंट राशि के नाम से 161863811/- और अनबिल्ड सेल राशि के नाम से 88312095/- बताई गयी थी। इस प्रकार समूह द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का 64.70% पैसा नंबर एक में और 35.30% नंबर दो में लिया जाता था। इसी प्रकार के और अन्य योजनाओं के फ्लेटों की ऑन मनी का खुलासा इन्कम टैक्स विभाग द्वारा किया गया।

(3) मेडिकल और डेंटल शिक्षण संस्थानों में केपिटेशन फीस का उपयोग।

आयकर विभाग द्वारा बताया गया कि समूह अपनी मेडिकल शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए केपिटेशन फीस लेता था। केपिटेशन फीस वह अतिरिक्त फीस होती है जो सामान्य श्रेणी की अपेक्षा विशेष श्रेणी से तय नियमों के अतिरिक्त ली जाती है।

इन्कम टैक्स के छापे के बाद सीबीआई में पहुंचा मेडिकल सीटों की गड़बड़ी का मामला।

वर्ष 2015 में केपिटेशन फीस के नाम पर इन्कम टैक्स की चोरी का खुलासा करने के बाद, उसके आने वाले वर्षों में सीबीआई और एमसीआई की कई रिपोर्ट्स ने इस बात की मोहर लगा दी है कि गीतांजलि समूह द्वारा अपने मेडिकल शिक्षण संस्थानों में मेनेजमेंट कोटे की सीटों को लाखों-करोड़ों रूपयों में बेचा जाता है। चूंकि यह सारा लेनदेन दो नंबर मतलब नकद में किया जाता है, जिससे जाहिर होता है कि वर्तमान में भी अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए समूह द्वारा नए-पुराने कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो कि या तो इन्कम टैक्स/सीबीआई/ईडी के राडार पर हैं या फिर आने वाले हैं।

गीतांजलि पर एमबीबीएस की 47 सीट्स पर एडमिशन में गड़बड़ी का आरोप : कोर्ट ने सीबीआई एसपी से मांगी रिपोर्ट

एमबीबीएस की सीट्स पर 2018-19 के बैच में नीट के जरिए प्रवेश देने में गड़बड़ी का आरोप

उदयपुर/जोधपुर, (ARLive news)। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) के चैयरमैन और प्रबंधन के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई कोर्ट जोधपुर ने सुनवाई करते हुए सीबीआई एसपी से रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में गीतांजलि ग्रुप के मालिकों पर सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। क्यों कि कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को गीतांजलि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लगे आरोप की जांच कर रिपोर्ट पेश करनी होगी। **परिवादी राजेन्द्र शेखावत ने अपनी याचिका में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर एमबीबीएस में नीट के जरिए होने वाले प्रवेश में करोड़ों की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है।**

सरकार की गठित कमेटी ने भी माना था कि गड़बड़ी हुई

हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ए.के. जैन परिवादी की तरफ से सीबीआई कोर्ट जोधपुर में याचिका पेश पैरवी कर रहे हैं। वकील ए.के. जैन ने बताया कि उनके परिवादी राजेन्द्र शेखावत की ओर से उन्होंने इस वर्ष फरवरी में सीबीआई में परिवाद दिया था। सीबीआई की तरफ से मामले में ज्यादा सक्रियता नहीं देखी तो हमने सीबीआई कोर्ट जोधपुर में याचिका पेश की है। हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है कि इसमें सीबीआई ने अब तक क्या जांच की है।

वकील ए.के. जैन ने बताया कि पहले राज्य सरकार के पास भी इसकी शिकायत गयी थी। राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। कमेटी ने भी माना था कि एमबीबीएस की 47 सीट्स पर भर्ती में गड़बड़ी हुई थी। लेकिन सरकार ने आगे कोई कार्यवाही नहीं की थी।

यह है मामला

वकील ए.के. जैन ने बताया कि मेरे परिवादी का आरोप है कि वर्ष 2018-19 में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 147 सीट्स पर नीट के जरिए एडमिशन लेना था। कॉलेज प्रबंधन ने इसमें 47 सीट्स पर मॉपअप से जिन कैंडिडेट का एडमिशन लिया था, उनसे न जाने कैसे रिजाइन लेकर, उन सीट्स पर पैसे लेकर दूसरे कैंडिडेट को भर्ती कर लिया था। इस संबंध में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रबंधन ने न तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से कोई परमिशन ली थी और न ही काउंसिलिंग बोर्ड से अनुमति ली थी। ऐसे में यह एक गंभीर प्रकृति के भ्रष्टाचार का मामला है। जिसमें करीब 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका है। इसी आरोप की याचिका हमने सीबीआई कोर्ट जोधपुर में दायर की है।

हाल ही में स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार द्वारा समूह की गीतांजलि यूनिवर्सिटी पर मारे गए छापे का क्या है कारण?

पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देशभर के एक दर्जन मेडिकल कॉलेजों पर छापे की कार्यवाही की गयी थी। मंत्रालय द्वारा इस कार्यवाही को बहुत ही गोपनीय रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि पूरे मामले को लेकर इन औचक निरीक्षणों की निगरानी स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की। स्वास्थ्य मंत्री ने एनएमसी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कोर टीम बनाई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औचक निरीक्षण की गोपनीयता बनी रहे और मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाए। इतना ही नहीं, जांच टीम के सदस्यों को भी संबंधित कॉलेज के बारे में पूर्व सूचना नहीं दी गई बल्कि सूचना मिलने के दिन ही औचक निरीक्षण को कहा गया था। मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।

इन एक दर्जन कॉलेजों में उदयपुर के ही नामचीन मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ समूह द्वारा संचालित गीतांजलि मेडिकल कॉलेज का भी नाम था।

विभाग की इस बड़ी कार्यवाही से सवाल यह खड़ा होता है कि करोड़ों रुपया कमाने वाले मेडिकल कॉलेजों पर महज मरीज कम होने, लाइब्रेरी में मापदंडों के मुताबिक किताबें नहीं होने जैसी बातों के लिए तो छापे नहीं डाले जा सकते, पर्दों के पीछे की क्या कहानी है यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। जानकार इसे मेडिकल सीटों पर हो रही करोड़ों की डील से जोड़कर देख रहे हैं। वही इन छापों से गीतांजलि के साथ साथ अन्य मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सीबीआई, इन्कम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय के राडार पर आ गए हैं।

भास्कर Original देश में पहली बार
ऐसी कार्रवाई

एक दर्जन मेडिकल कॉलेजों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के छापे

पवन कुमार | नई दिल्ली

देश में पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसे एक दर्जन मेडिकल कॉलेजों पर छापे की कार्रवाई की गई है, जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही थीं। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि मंत्रालय की मेडिकल एजुकेशन विंग को भी भनक नहीं लगी। अभी तक मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ जांच और छापे की कार्रवाई नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) करती थी।

सूत्रों का कहना है कि कोरोना में कई नए मेडिकल कॉलेजों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये निरीक्षण करके मान्यता दे दी गई थी। इसके बाद बहुत से मेडिकल कॉलेजों की शिकायतें स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल रही थीं। मंत्रालय स्तर पर इनकी जांच के बाद देश के केंद्रीय अस्पतालों के 3 से 6 डॉक्टरों की अलग-अलग टीमों बनाई गई। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग खुद

6 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी


महाराष्ट्र में धुले के एसीपीएम मेडिकल कॉलेज, राजस्थान के अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मद्र में जबलपुर के सुख सागर मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे थे। कार्रवाई में मेडिकल कॉलेजों में जो खामियां और गड़बड़ी पाई गई, उसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसी के आधार पर सख्त कार्रवाई के लिए एनएमसी को कहा जाएगा।

गड़बड़ियां ऐसी : छापे के दौरान कुछ मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों में मरीज कम थे। कई जगहों पर फैकल्टी सिर्फ दस्तावेजों में थे। तो लाइब्रेरी में मापदंड के मुताबिक किताबें नहीं थीं।

दिनांक 03/04/2022 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर से साभार

समूह की जयपुर में बन रही एक और यूनिवर्सिटी के लिए कहाँ से बताया गया है पैसा?



गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा समूह की एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जयपुर में भांकरोटा के पास 80294 वर्ग मीटर जमीन कन्सेशन दर पर आवंटित की है जिस पर भी गीतांजलि की तरह भव्य यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। समूह द्वारा इस यूनिवर्सिटी को फोरचून फाउंडेशन के तत्वधान बनाया जा रहा है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार फोरचून फाउंडेशन का वर्ष 2019-20 में कॉर्पस फंड 59,10,10,000/- रुपए था, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 38,10,10,000/- था। वर्ष 2018-19 में फोरचून फाउंडेशन को अनसिक्योर लोन करीब 1,94,03,483/- बताया गया है जो वर्ष 2019-20 में निल मतलब शून्य है।

सूत्रों के अनुसार इस फोरचून फाउंडेशन को बनाने और इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी समूह द्वारा अपने काले धन का उपयोग किया गया है और उसे अनुचित साधनों से सफ़ेद कर, फोरचून फाउंडेशन की बुक्स में बताया जा रहा है। जिसकी भी इन्कम टैक्स से जांच आवश्यक है।

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या शांति लाल मारू और प्रदीप मित्तल आज भी गीतांजलि समूह के साथ हैं?
2. समूह द्वारा आज की तारीख में कितनी शैल कंपनियों का संचालन किया जा रहा है?
3. क्या समूह द्वारा आज भी बोगस LTCC का खेल खेला जा रहा है?
4. जिन पेनी स्टॉक्स कंपनियों के साथ समूह द्वारा बोगस LTCC का खेल खेला गया था, उनकी आज क्या स्थिति है? क्या सेबी द्वारा उक्त कंपनियों के विरुद्ध जांच की गयी थी?
5. इस प्रकरण में इन्कम टैक्स द्वारा खुलासा किया गया था कि कंपनी ने अपने ड्राइवर लाडू लाल रेबारी के नाम से बेनामी लेनदेन किए गए थे, समूह द्वारा ऐसे और कितने बेनामी से काला धन एकत्रित किया गया है?

FORTUNE FOUNDATION 19-C, OLD PATHPURA,UDAIPUR-313001			
STATEMENT OF AFFAIRS AS ON 31.03.2020			
PARTICULARS	SCHEDULE	2019-20	2018-19
SOURCES OF FUNDS			
Corpus Fund	1	59,10,10,000	38,10,10,000
Unsecured Loan	2	-	1,94,03,483
Current Liabilities & Provisions	3	1,10,33,912	90,96,361
Other Current Liability		-	-
Reserve Fund	4	2,13,93,255	-
TOTAL		62,34,37,167	40,95,09,844
APPLICATION OF FUNDS			
Fixed Assets (Gross Block)	5	41,07,83,127	40,03,05,679
Less: Depreciation		13,071	11,300
Net Block		41,07,70,056	40,02,94,379
CURRENTS ASSETS, LOAN & ADVANCES			
Cash & Bank Balances	6	9,47,853	6,08,829
Loans & Advances	7	21,17,19,258	67,36,758
		21,26,67,111	73,45,587
Reserve Fund	4	-	18,69,878
TOTAL		62,34,37,167	40,95,09,844
Accounting policies & Notes to the accounts As Per our Audit Report of even date attached For A. Bafna & Co. Chartered Accountants FRC NO. 03660C	11		
		FOR FORTUNE FOUNDATION	
(CA. Vivek Gupta) Partner M NO. 400543 UDIN: 2114065438AAAAN61 Date: 29th December 2020 Place: Jaipur		J.P. AGARWAL (Chairperson)	

6. इस प्रकरण मे इन्कम टेक्स द्वारा अन सिक्योर लोन के नाम पर 157 करोड़ के काले धन को सफ़ेद करने के खेल का खुलासा तो किया गया था,लेकिन उसकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गयी थी|क्या थी इस अन सिक्योर लोन की हकीकत?
7. जिन कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा समूह को अनसिक्योर लोन दिये गए थे,उनके विरुद्ध इन्कम टेक्स विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
8. समूह द्वारा उदयपुर के अलावा कहाँ कहाँ जमीनो मे निवेश किया गया है,कॉलोनियाँ काटी गयी है,कोम्प्लेक्सो का निर्माण करवाया गया है?
9. क्या समूह द्वारा आज भी जमीनो/कॉलोनियो/फ्लेटों की खरीद फरोख्त मे ऑन मनी का इंस्तेमाल किया जा रहा है?
10. जिन व्यक्तियों द्वारा समूह के साथ जमीनो/कॉलोनियो/फ्लेटों की खरीद फरोख्त ऑन मनी के तहत की गयी थी,क्या आयकर विभाग द्वारा उन लोगो को जांच के दायरे मे लिया गया था?
11. आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार समूह के जगदीश प्रसाद अग्रवाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 मे किसी जमीन के बदले 1.4 करोड़ नकद लिए थे|जब इन्कम टेक्स को इस बात की जानकारी थी तो उसने इस मामले को ईडी को क्यूँ नहीं सौंपा?यह जमीन जेपी अग्रवाल द्वारा किसे बेची गयी थी?
12. आयकर विभाग के अनुसार समूह द्वारा मार्बल और ग्रेनाइट को अंडर बिलिंग करके बेचा जाता था जिससे बुक्स मे कम प्रॉफ़िट बताया जा सके|क्या अंडर बिलिंग का खेल आज भी समूह द्वारा खेला जा रहा है?
13. क्या समूह द्वारा जबलपुर मे खोले गए स्टील प्लांट मे सबकुछ सही है?
14. क्या आयकर विभाग द्वारा समूह के कर्ता-धर्ताओं से 118 करोड़ की वसूली कर ली गयी है?आयकर विभाग द्वारा 303 करोड़ के बनाए गए अन्य मामलो का क्या हुआ?क्या विभाग द्वारा बकाया मामलो मे भी वसूली की गयी?
15. क्या गीतांजलि समूह आज भी कर रहा है इन्कम टेक्स,जीएसटी सहित अन्य करो की चोरी??
16. वर्तमान मे समूह की पेसेफिक इंडस्ट्रीज़ लि स्टॉक मार्केट मे पंजीकृत है,जिसके शेयर का मूल्य 511.90 रुपए है,समूह की और कितनी कंपनियाँ स्टॉक मार्केट मे पंजीकृत है?वर्तमान मे शेयर मार्केट मे समूह द्वारा क्या खेल खेला जा रहा है?
17. ईडी ने बोगस LTCG के तहत हुई मनी लॉडरिंग की जांच क्यूँ नहीं की?आखिर क्यूँ इन्कम टेक्स द्वारा ईडी को इस मामले की जानकारी नहीं दी गयी?
18. जब समूह के मुख्य कर्ता-धर्ता बोगस LTCG की बात स्वीकार कर चुके थे तो इसके बावजूद सेबी ने बोगस LTCG मामले की जांच क्यूँ नहीं की?

19. हाल ही में स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार द्वारा समूह के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज पर मारे गए छात्रों का मुख्य कारण क्या है?

20. एमसीआई में समूह की यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजों में धांधलियों के कितने मामले चल रहे हैं?

21. समूह की जयपुर में फोरचून फाउंडेशन के तत्वाधान में बन रही एक और यूनिवर्सिटी के लिए कहाँ से बताया गया है पैसा? कहीं समूह के काले धन को सफ़ेद करके तो नहीं बनाई जा रही यह यूनिवर्सिटी?

22. उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार फोरचून फाउंडेशन का वर्ष 2019-20 में कॉर्पस फंड 591010000/- रूप में था, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 381010000/- था। वर्ष 2018-19 में फोरचून फाउंडेशन को अनसिक्योर लोन करीब 19403483/- बताया गया है जो वर्ष 2019-20 में निल मतलब शून्य है?

किन्हीं द्वारा दिये गए थे यह अनसिक्योर लोन? क्या अनसिक्योर लोन वाली कहानी पुनः तो नहीं दोहराई जा रही?

23. क्या पेसेफिक समूह की तरह गीतांजलि समूह भी मेडिकल की मैनेजमेंट कोटे की सीटों को करोड़ों रुपये में बेचने के मामले में सीबीआई के राडार पर है?

24. वर्तमान में सीबीआई/एमसीआई के पास जिन मेडिकल सीटों को करोड़ों में बेचने का इनपुट प्राप्त है क्या इन्कम टैक्स को इसकी जानकारी है?

25. हाल ही में इन्कम टैक्स/सीबीआई/एमसीआई की कई रिपोर्ट्स ने यह साबित किया है कि अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह गीतांजलि मेडिकल कॉलेज/यूनिवर्सिटी भी मेडिकल की मैनेजमेंट कोटे की सीटों की खरीद फरोख्त में लिप्त है, जिसमें मिलने वाला करोड़ों रुपया नकद या हवाला के जरिये समूह की जेब में पहुंचता है। सवाल यह उठता है कि समूह द्वारा इन करोड़ों रुपयों के काले धन को सफ़ेद करने के लिए क्या नए-पुराने कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं?

26. जिस समृद्ध लोगों से देश को आशा होती है कि वह अपनी सम्पूर्ण कमाई पर ईमानदारी से टैक्स देकर देश के विकास में भागीदार बनेंगे, वही लोग सफ़ेदपोश बन कर, आर्थिक अपराध कर, देश की नींव को खोखला कर रहे हैं। क्या ऐसे सफ़ेदपोशों को सख्त से सख्त सजा नहीं देनी चाहिए? आखिर क्यों ऐसे सफ़ेदपोशों को कानून का डर नहीं है?

जेपी अग्रवाल का कबूलनामा

हैं मैंने मेरे धारा 132(4) के अंतरगत दर्ज बयानों में रूप में 656867000/- की अघोषित आय विभिन्न वर्षों में अतिरिक्त आय के रूप में करारोपण हेतु समर्पित की थी। मैं पुनः इसे Confirm करता हूँ एवं इस पर नियमानुसार आयकर अदा करने का वचन देता हूँ। मैं यहाँ स्पष्ट कर्न चाहता हूँ कि मैंने अघोषित अतिरिक्त आय के पेटे रूप में 6,05,85,550/- आयकर के रूप में जमा करवा दिये हैं एवं शेष आयकर जमा करवाने का वचन देता हूँ।